

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**  
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

**Bulletin Part-I**

**(Brief summary of proceedings)**

**Thursday, 08 January 2026 / 18 Paush 1947 (Saka)**

**No. 21**  
**11.02 AM**

**Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 11.02 AM **Shri Harish Khurana, Hon'ble Member** stated that he had sent a complaint against the indecorous act of Sh. Jarnail Singh, Hon'ble Member of Opposition.  
The Chair informed that the matter has been referred to the Committee of Privileges.  
Members of Ruling Party came into the well of the House and raised slogans against the objectionable remarks made by Ms. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition against Sikh Gurus on 06/01/2026.  
Members of Opposition Party also came into the well of the House and started raising slogans.  
The Chair repeatedly requested the Members to resume their seats.  
*Pandemonium in the House.*
2. 11.08 AM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes.**
3. 11.35 AM **House reassembled.**  
**Hon'ble Speaker in-Chair.**
4. 11.35 AM *Pandemonium ensued.*
5. 11.41 AM **The Chair adjourned the House for 30 Minutes.**
6. 12:09 PM **House reassembled.**  
**Hon'ble Speaker in-Chair.**
7. 12.09 PM *Uproar continued.*  
The Chair directed the Legislative Assembly Secretariat to forward the video clip of the remarks made by Ms. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition, during the sitting of the House held on 06/01/2026 to the Forensic Science Laboratory, Government of NCT of Delhi for verification of its authenticity and genuineness of the statement. He also directed to submit its report within 15 days.  
The Chair expressed deep concern and anguish over the absence of Ms. Atishi, Hon'ble Leader of the Opposition from the House to clarify her position on such serious and sensitive matter which has led to the disruption of the proceedings of the House.  
*Pandemonium ensued.*
8. 12.19 PM **The Chair adjourned the House upto 01.00 PM.**
9. 01.00 PM **House reassembled.**  
**Hon'ble Speaker in-Chair.**
10. 01.00 PM **Shri Pravesh Sahib Singh, Hon'ble Minister of Legislative Affairs** requested that the matter pertaining to the remarks made by Ms. Atishi, Hon'ble Leader of Opposition against the Sikh Gurus on 06/01/2026, be referred to the Committee of Privileges.  
He further requested to extend the sitting of the House for disposal of pending business of the House.  
The Chair referred the said matter to the Committee of Privileges.  
Considering the request of Hon'ble Minister of Legislative Affairs and in view of the exigency of pending Business of the House, the Chair extended the sitting of the House for one day i.e. up to Friday, the 09th January, 2026.  
*Uproar continued.*

**Question Hour :**

Replies to Starred Questions No. 41 to 60 and Un-Starred Questions No. 174 to 263 were laid on the table. Reply of Un-Starred Question No. 229 was not received.

**Special Mention (Rule-280) :**

The Chair directed that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 be *treated as read* :

1. Sh. Karnail Singh	6. Sh. Parduymn Singh Rajput
2. Smt. Neelam Pahalwan	7. Dr. Anil Goyal
3. Sh. Surendra Kumar	8. Sh. Umang Bajaj
4. Sh. Ravi Kant	9. Sh. Mohan Singh Bisht
5. Sh. Kulwant Rana	10. Sh. Sahi Ram

11. 01.05 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Friday, 09 January 2026.**

**Delhi**  
**08 January, 2026**

**Ranjeet Singh**  
**Secretary**

**विधान सभा**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**  
**समाचार भाग-1**  
**(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)**  
**वीरवार, 08 जनवरी, 2026 / पौष 18, 1947 (शक)**

**संख्या-21**

**11.02 बजे**

**श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.02 बजे श्री हरीश खुराना, माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह के अशोभनीय कृत्य के विरुद्ध शिकायत भेजी है।  
अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है।  
सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गए और दिनांक 06 जनवरी, 2026 को सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सिक्ख गुरुओं के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में नारेबाजी करने लगे।  
प्रतिपक्ष के सदस्य भी सदन के वैल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी।  
अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपने आसन ग्रहण करने का लगातार अनुरोध किया।  
सदन में कोलाहल /

2. 11.08 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित किया।

3. 11.35 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

4. 11.35 बजे कोलाहल प्रारम्भ हुआ।

5. 11.41 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित किया।

6. 12.09 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

7. 12.09 बजे शोर-शराबा जारी।  
अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा 06 जनवरी, 2026 को सदन की बैठक के दौरान की गई टिप्पणी की वीडियो विलप को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को प्रामाणिकता और सत्यता की जांच के लिए भेज दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इसकी रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत कर दी जाए।  
अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले ऐसे गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु नेता प्रतिपक्ष के सदन से अनुपस्थित रहने पर गहरी चिंता एवं खेद व्यक्त किया।  
कोलाहल प्रारम्भ हुआ।

8. 12.19 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को अपराह्न 01.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

9. 01.00 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

10. 01.00 बजे श्री प्रवेश साहिब सिंह, माननीय विधायी कार्य मंत्री ने अनुरोध किया कि 06 जनवरी, 2026 को सुश्री आतिशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सिक्ख गुरुओं के विरुद्ध की गई टिप्पणी से संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

उन्होंने सदन के लंबित कार्यों के निपटान के लिए सदन की बैठक को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

माननीय विधायी कार्य मंत्री के अनुरोध पर विचार करते हुए और सदन के लंबित कार्य की अत्यावश्यकता को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय ने सदन की बैठक एक दिन अर्थात् शुक्रवार, 09 जनवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दी।

शोर-शराबा जारी।

**प्रश्न काल :**

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 174 से 263 के उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये। अतारांकित प्रश्न संख्या 229 का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**विशेष उल्लेख (नियम-280) :**

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले पढ़े हुये माने जायें :—

1	श्री करनैल सिंह	6	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
2	श्रीमती नीलम पहलवान	7	डॉ. अनिल गोयल
3	श्री सुरेंद्र कुमार	8	श्री उमंग बजाज
4	श्री रवि कांत	9	श्री मोहन सिंह बिष्ट
5	श्री कुलवंत राणा	10	श्री सही राम

11. 01.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन शुक्रवार, दिनांक 09 जनवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

दिल्ली  
08 जनवरी, 2026

रंजीत सिंह  
सचिव